

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। Project Implementation Unit-Vasant Vihar मकान सं0 171, फेज- ।, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006 दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web:www.nhai.gov.in

NHAI/PIU/VV/2023/ Jhajhra-Asharori/Forest/ 7988

Dt.24.12.2024

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग जनपद – देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—72 (झाझरा के पास) को दिल्ली—देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी० 0.050 से किमी 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 के संबंध में अनुपालन आख्या का प्रेषण।

सन्दर्भः 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यलय, देहरादून के पत्र संo 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 67 / 2023 / एफ0सी0 दिनांक 03 / 04 / 2024

- 2. इस कार्यालय का पत्र सं0 NHAI/PIU/VV/2023/Jajhra-Asharodi/Forest/6844 दिनांक 24.06.2024
- 3. आपका कार्यालय पत्र सं0 6882 दिनांक 28.06.2024 6882 dated 28.06.2024 forwarding therewith a copy of letter No 7376 dated 27.06.2024 from DFO, Dehradun

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विषयगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाये गये ई०डी०एस० दिनांक 03.04.2024 के निस्तारण करते हुए अनुपालन आख्या पूर्व में इस कार्यलय पत्रांक 6844 दिनांक 24.06.2024 के माध्यम से प्रेषित की गयी थी। तदानुसार, आपके पत्रांक 7376 दिनांक 27.06.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उच्च स्तर से लगायी गयी किमयों के निराकरण की अपूर्ण सूचना प्रेषित की गयी है एवं तदानुसार निम्न बिन्दुओं की सूचना तैयार कर प्रस्ताव का ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रेषित किये जाने हेतू अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त संन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-2.

SI. No.	Observations	Reply by User Agency
i.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर–वन	
	भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर	
	प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं	यह भी अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु
	संवर्धन) नियम 2023 के अनुसार	गैर—वानिकी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी, कालसी से प्राप्त
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन	41.0000 हेक्टेयर भूमि का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण राजस्व
	गैर—वन भूमि पर आवश्यकता है एवं	विभाग, वन विभाग एवं भा०रा०रा०प्रा० के प्रतिनिधियों द्वारा
	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023	प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी
	के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any	के वन रेंज अधिकारी, कालसी प्रथम रेंज एवं चुरानी रेंज
	provision of the extant rules will be	नागथात के देखरेख में किया गया। उपरोक्त भूमि मौके पर
	applicable on the proposals which are	वनीकरण हेतु उपयुक्त पायी गयी है एवं तदानुसार
	yet to be granted 'in principle	जिलाधिकारी महोदय देहरादून द्वारा पत्र सं० ३३० दिनांक 24.
	approval' under the Adhiniyam । अतः	12.2024 (प्रति संलग्न) उक्त भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण
	राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह	किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। अतः उपरोक्त के
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त	क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा प्रेषित प्रतिपूरक
	गैर—वन भूमि का चयन कर (KML File,	वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों के रख—रखाव की योजना,
	CA Scheme, Maps etc.) प्रेषित करने का	के0एम0एल0 फाईल डी0एस0एस0 रिपोर्ट, टोपाशीट व
	कष्ट करें।	जीयोरेफरेन्स मानचित्र एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र समोहर
		हस्ताक्षर सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही
		हेत प्रेषित हैं।

क्रमशः ...2

मुख्यालय : प्लाट सं० जी–5 एवं ६, सैक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075, दूरभाष : 91–11–25074100/200 Head Office: Plot No. G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075, Phone: 91-11-25074100/200

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित / निर्धारित की जायेगी, उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

वन्यजीव शमन योजना और मृदा और नमी संरक्षण योजना प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा तैयार कर लिया गया है और अनुमोदन के लिए वन संरक्षक (शिवालिक) देहरादून व प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रस्तुत किया गया है (प्रति संलग्न)।

Wildlife Management Work and Soil & Moisture Conservation Work हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है।

- 2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा आवश्यक प्रारूप में साइट निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर अतिरिक्त जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
- 3. उपरोक्त के अतिरिक्त संज्ञान में लाना है कि उक्त ग्रामों में से लटौ ग्राम में वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.000 हेक्टेयर भूमि का दिनांक 13.11.2024 को वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी पायी गयी, जिस कारण डी०एस०एस० रिपोर्ट में संदर्भित क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। जिसके संदर्भ में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया गया है कि उक्त क्षेत्र में कंटीली लैन्टाना झाड़ियां आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।

अतः राष्ट्रीय हित की परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि संदर्भित वन भिम हस्तान्तरण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(पंकज कुमार मीर्य) महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक प०का०ई०—वसन्त विहार (देहरादून)

भवदीय

प्रतिलिपि:

- 1. अपर प्रमुख संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित
- 2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित
- 3. टीम लीडर, मैं0 योंग्मा इन्जीं0 कं0 लि0 को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

आदेश

महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0 बसन्त विहार देहरादून के कार्यालय पत्र 'संख्या 7091 दिनांक 06.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में रा०रा०-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर-वानिकी क्षेत्र में 41.000हैं0 भूमि भा०रा०रा०प्रां० को उपलब्ध करायें जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया हैं। (पताका-क)

प्रकरण में प्रमागीय वनाधिकारी, मंसूरी वन प्रमाग व उप जिलाधिकारी सदर देहरादून को प्रकरण में भूमि का संयुक्त निरीक्षण करते हुए आख्या / प्रस्ताव उपलब्ध कराये

जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।(पताका-ख)

प्रकरण में महोदय द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा दिनांक 12 10.2024 को तहसील कालसी के ग्राम गडैता, लखस्यार, लटी, गास्की व थैना में 44.035हैं। भूमि की आख्या/प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसकें कम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 को उप जिलाधिकारी कालसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कालसी को पत्र प्रेषित करते हुए प्रस्तावित भूमि के हरतांतरण के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कराते हुए सुस्पष्ट जॉच आख्या / प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा अपने पत्र संख्या 182/रा०लि०//2024-25 दिनांक 11/12/2024 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में ग्राम गडेता लखस्यार, लटौ, कालसी, थैना में 44 है0 भूमि प्रस्तावित की गयी थीं, जिसके कम में दिनांक 13.11.2024 को वन विभाग, राजस्व विभाग एवं एन०एच०ए०आई० के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के अनुसार क्षतिपरक वक्षारोपण हेत लुप्यक्त

क0सं०	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा सं0.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित उपयुक्त भूमि रकबा (है0 में)	ाया भूम का विवरण निम्नवत् है:— श्रेणी
1		गडैता	44	1	12,000	श्रेणी 5(3)(ड)—अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि
				4	3.000	The state of the s
	कालसी			5	8.000	
2		थैना	87	766	10,000	
3		लटी	91	148	8.000	and the state of t
				योग	41.000	

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (झाझरा) के पास दिल्ली देहरादुन एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने चाली चार लेन ग्रीन फील्ड रोड़ का विकास कि0मी0 0.050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेत 41.00हैं0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण की मांग की गयी है। उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा अपने पन्न संख्या 182/रा०लि०//2024-25 दिनांक 11/12/2024 के साथ संलग्न राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या—260 / वित्त अनुभाग—3 / 2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या--111 / XXVII(7)/50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई 2015. संख्या-1887 / XVIII(II)/2015.18(169)/2015 दिनांक 30 ज्लाई 2015. संख्या—496 / XVIII(II)/2020-08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 की शर्तो एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशो में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार जनपद देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण National Highways Authority of India (सड़क परिवहन राजमार्ग नंत्रालय, भारत सरकार) Ministry of Road Transport & Highways पीठआई०यु०-वयन्त विहार, देहरादून



तहसील कालसी के अन्तर्गत गाम गड़ेत के खाता संख्या-44 के खसरा नं0 1 रकवा 12.000हैं0, खसरा नं0 4 रकबा 3.000हैं0, खसरा नं0 5 रकबा 8.000हैं0 व ग्राम थैना के खाता संख्या 87 के खसरा नं0 788 रकवा 10,000हैं0 तथा ग्राम लटौ के खाता संख्या 91 के खसरा नं0 148 रकबा 8.000हैं0 कुल रकबा 41.000हैं0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवंटित / हस्तांतरित किया जाता है:-

1---भूमि का हरतांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना

मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित 2---परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हरतांतरण किया जाये जितना कार्य विषेश के लिए आवश्यक हो।

भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए। 3-

हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हरतांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।

5--यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन

सुनिश्चित करना होगा।

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि उक्त प्रयोजन हेत् निःशुल्क भूमि हस्तांतरण 6-से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापित्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।

उपरोक्त शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ਵ0 ∕ − (सविन बंसल) जिलाधिकारी देहरादून। 20.12.2024

परियोजना निवेशक/Project Director

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधकरण

×//A-20 कार्यालय जिलाधिकारी देहराद्न। 3 30/डी०एल०आर०सी०/2024 2013-26 दिनांक २५ दिसम्बर, 2024 संख्या-

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित। सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहराद्न।

सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। 2--

आयुक्त एवं सचिव, राजस्य परिषद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। 3-

आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी। 4-मुख्य विकास अधिकारी देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कालसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। National Highways Authority of India

उप जिलाधिकारी, कालसी को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कश्लीhishiy के Road Transport & Highways विभाग को हरतगत करते हुए अमल दरामद की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। पाँठ आई व्यू०-वसना विहार, देहरादून महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

प्राधिकरण बसन्त विहार देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेत्।

कार्यालय प्रति।

1-



प्रभारी अधिकारी / जिलाधिकारी देहरादून।

Check List for Site Inspection by the DFO/CF/CCF/APCCF

Sl. No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent is hectares	20.0849 hectares
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion	Forest Start (latitude 30°17'29.25"N and longitude 77°57'08.84"E) Forest ends (latitude 30°15'29.89"N and longitude 77°58'40.65"E)
3	Legal Status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	RF
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Boundary pillars along with marking of trees on ROW edge done by user agency.
5	Any signs of encroachment.	Nil
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation, Site quality, species composition etc.	Some compartments are very dense, some are moderately dense and some are open forest. Major species are Sal, Rohini etc.
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	The land proposed for diversion in the instant proposal is situated at a distance of 1.200 km from the Rajaji Tiger Reserve.
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	Nil
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	Forest
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	Nil
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there	NA

	any dissenting voice among the person proposed to be displaced?	
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Compensatory Afforestation is proposed in 41 hectares of non-forest Land in Gadeta, Thaina, and Latau villages in Dehradun District, under the jurisdiction of DFO, Kalsi Soil Conservation, Kalsi.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	Distance from the boundary of the nearest protected area is 1.2 km
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	Not Applicable. Required Certificate is attached in the proposal.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	The project is important as it will decongest traffic of Dehradun city
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	NA
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	Total 3 alignment options were examined. The most suitable alignment has been proposed for divert land.
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	Yes.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	User Agency has submitted an undertaking clearly stating that bare minimum number of trees shall be felled for development of the project.
23	Any other issue of significance.	Nil
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the project.	The project is recommended in view of public interest.

Signature-Name – Neeraj Sharma Designation – DFO, Dehradun Seal**Full Title of the Project:** Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/140350/2021

Date of Proposal: 01/04/2021

Forest Land Proposed For Diversion: Total Area: 20.0849 Hectare

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु User Agency is ready to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

पंकज कुमार मौर्य महाप्रबंधक (तकनीकी) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी.आई.यू., वसन्त विहार, देहरादून (उत्तराखण्ड)

परिबोजनी निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
Ministry कर्न स्वार्थ स्वार्थ









कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

85 राजपुर रोड, देहरादून, फोन नं० 0135-2742884 फैक्स न० 0135-2745691 ईमेल-cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 1267 / 12-1 देहरादून

दिनांक

२ नवम्बर, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।

विषय:-

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (झाझरा के पास) दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे (आसारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड़ का विकास कि0मी00. 050 से कि0मी0 12.220 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव से सम्बन्धित Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan के प्रेषण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक 1432/12-1 दिनांक 21.11.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ विषयगत परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये WildLife Management Plan (रू0—2.7964 करोड़) जो इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, की प्रति हस्ताक्षरित कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जाता है।

सलंग्न:-यथोपरि।

भवदीय

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/ मुख्य वन्यजीव प्रतिप्रम्लक उत्तराखण्ड।

पत्रांक 26 / 121 दिनांकित। प्रतिलिपि:— प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/ मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक

उत्तराखण्ड।🔬 27/11/62



WILDLIFE MANAGEMENT AND SOIL & MOISTURE CONSERVATION PLAN

FOR

Widening Development of 4- lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) near (Jhajra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand










DEHRADUN FOREST DIVISION
SHIVALIK CIRCLE
FOREST DEPARTMENT, UTTARAKHA

Table of Contents

1)	प्रस्तावना	2
2)	परियोजना का विवरण	3
3)	मानचित्र	. 4
4)	परियोजना का वन एवं वन्यजीवों पर प्रभाव	.6
5)	वन्यजीव प्रबन्धन योजना	. 8
6)	वन्यजीव प्रबन्धन योजना का भौतिक एवं वित्तीय विवरण	9
7)	मृदा एवं जल संरक्षण योजना का भौतिक एवं वित्तीय विवरण	16

उत्तराखण्ड राज्य में रा०रा०—72 (झाझरा के पास) को दिल्ली— देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी० 0.050 से कि0मी० 12.220 तक निर्माण कार्य प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 के तहत प्रस्तावित किया गया है, इस परियोजना में कुल 20.0849 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित है। चूंकि प्रस्तावित वन मोटर मार्ग शिवालिक श्रंखला के संघन वनों से होकर गुजरता है इसलिये वन्यजीव संरक्षण प्रबन्धन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं। यह न केवल महत्वपूर्ण प्रजातियों की सत्त उपज को सुनिश्चित करता है वरन समस्त वन्यजीवों सहित वनों के सम्रग स्वास्थ्य पर भी प्रबल जोर देता है।

इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए मृदा की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। पानी की मात्रा बढाने और साथ ही मृदा के कटाव को रोकने के लिए वाटर होल, कन्टूर ट्रेच व इनमें नेपियर घास का रोपण, चैक डैम आदि कार्य प्रस्तावित किये गये है।





उपरोक्त वन्यजीव प्रबन्धन योजना भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी गाईडलाईन संख्या-FC-11/43/2021-FC, Dated: 16th January, 2023 में प्रदत्त निर्देशों के आधार पर निरूपित की जा रही है।

परियोजना का विवरण

Proposal No.	FP/UK/ROAD/140350/2021
Project Name:	Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori Section from Km. 0.000 to Km. 12.000 in the State of Uttarakhand.
Area (in ha):	20.0849
Legal Status of Forest Land	Reserve Forest
District :	Dehradun
Division(s):	Dehradun Division
Range	Asharori Range
Proposal For:	Form-A (Part-I): Diversion of Forest Land
Proponent Name :	Executive Engineer Provincial Division PWD Dehradun
Project Cost	109.08 Cr (approx.)
Amount of Wild Life Management plan	279.64 Lakh
Amount of Soil & Moisture Conservation Plan	77.102 Lakh

Map of Project area





परियोजना का वन एवं वन्यजीवों पर प्रभाव

मोटर मार्ग के निर्माण से जहां एक तरफ परिवहन में सुधार होता है, जिससे लोगों को विभिन्न स्थानों तक तेजी से पहुंचने की सुविधा प्रदान होती है एवं आर्थिक विकास होता है, वहीं दूसरा पहलू अर्थात पर्यावरणीय दृष्टि से विचार किया जाय तो मोटर मार्ग से वन्यजीवों एवं उनके वास स्थलों व वनस्पतियों पर कई विपरीत प्रभाव पड़ते है।

वन्यजीवों के आवास की हानि: मोटर रोड्स के निर्माण से वन्यजीवों के आवास क्षेत्र को अवरुद्ध हो सकता है। यह उनके आवागमन की सुविधा को कम कर सकता है। और उनकी प्रजनन और आहार खोज में असुविधा पैदा कर सकता है।

वन्यजीवों की आवाजाही में समस्या: मोटर मार्ग के निर्माण से वन्यजीवों के आवाजाही में समस्या उत्पन्न होती है। उनके पारंपरिक आवाजाही संग्रह संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हो सकता है। इससे वन्यजीवों के संचार और सामजिक संगठन पर असर पड़ सकता है, जो उनके जीवन शैली और प्राकृतिक संरक्षण को प्रभावित करता है।

जैव विविधता की कमी: मोटर रोड के निर्माण से वन्यजीवों के पास जाने का मार्ग कट जाता है, जिससे उनका संरक्षण प्रभावित हो सकता है। इससे जैव विविधता में कमी हो सकती है और साथ ही वनस्पतियों की संरक्षण क्षमता पर भी असर पड़ सकता है।

प्राकृतिक संतुलन का अस्तित्व पर प्रभाव : फॉरेस्ट में मोटर रोड के निर्माण से प्राकृतिक संतुलन को अस्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह वायुमंडलीय, जल संवेदनशीलता और बाढ़ की संभावना पर प्रभाव डाल सकता है।

ध्विन प्रदूषण: मोटर रोड के निर्माण से ध्विन प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, जिससे जंगली जीवों के संतोष को प्रभावित किया जा सकता है। यह उनक सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और उनके पर्यावरण के संरक्षण को खतरे में डाल सकता है।

जल संसाधन पर प्रभाव: मोटर मार्ग के निर्माण से वनों में निदयों, गाड़—गदेरों में प्राकृतिक रूप से हो रहे प्रवाह में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है एवं मोटर मार्ग के निर्माण से कैचमेंट में स्थित जल संसाधनों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया जा सकता है। साथ मोटर मार्ग के निर्माण से भूमिगत प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है, जिससमें कि पानी की उपयोगित एवं जल संवर्धन में कमी आ सकती है।

मू: क्षरण की समस्या : वनों में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु पहाड़ों में प्रायः किटंग करके बनायी जाती है, जिससे भू—क्षरण की समस्या उत्पन्न होती है। मोटर रोड़ के निर्माण से अधिक खुदाई और अन्य अनुप्रयोगों की आवश्यकता हो सकती है, जो फॉरेस्ट के प्राकृतिक संरचना को हानि पहुंचा सकते है, और उसके भूमिगत संसाधनों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इस समस्या का समयान्तर्गत निवारण ना किया गया तो यह भू—स्खलन का रूप धारण कर लेती है।

अतः मोटर मार्ग के उपरोक्त विपरीत प्रभावों न्यूनीकरण हेतु इस योजना के अन्तर्गत वानिकी कार्य प्रस्तावित किये जोन आवश्यक है ताकि जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद हो सके।

मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र जो कि असारोडी रेंज के अन्तर्गत संरेखित है। मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों को आंकलन किये जाने के पश्चात दो भागों में योजना तैयार की जा रही है :--

- 1. वन्यजीव प्रबन्धन योजना (Wild Life Management Plan)
- 2. मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण योजना (Soil & Moisture Conservation Plan)

वन्यजीव प्रबन्धन योजना (Wild Life Management Plan)

योजना के मुख्य उद्देश्य

- वन्य जीवों के विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखते हुए वन्यजीवों के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन करना।
- 2. वन्यजीवों का कल्याण व उसका संवर्धन करना एवं उनके वास स्थलों का विकास करना।
- 3. प्राकृतिक संतुलन को संरक्षित करना, जिससे भूमि, जल और हवा के प्राकृतिक संसाधनों को संतुलन बना रहे।

प्रस्तावित उपचार कार्य

वन्यजीव वासस्थल विकास कार्य-

लैण्टाना उन्मूलन तथा स्थानीय घास/झाडी प्रजातियों का रोपण—आसारोडी रेंज के अन्तर्गत लैण्टाना झाडिया विद्यमान है जो कि वन्यजीवों के लिए एक परेशानी का स्त्रोत बन जाती है इसके तीव्र विस्तार के कारण लैण्टाना उन्मूलन की आवश्यकता है। लैण्टाना वन्यजीवों के आवास क्षेत्र का स्थान ले लेती है, जिससे उनके आवास की सांख्यिकीय और जीवनकाल को प्रभावित होता है। इससे प्राकृतिक वनस्पतियों को भी प्रभवित करती है। अतः योजना के अन्तर्गत 145.00 है0 क्षेत्र में लैण्टना उन्मूलन कार्य प्रस्तावित किये गये है, जो कि सी०आर० बाबू से पूर्णतः नष्ट किये जायेंगें तथा उनके स्थान पर स्थानीय घास/झाडी प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

- वृक्षारोपण कार्य— आरकेडिया प्रथम क्षेत्र में कुल 15.00 है0 वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है जिसमें मुख्यतः फलदार पौधों का रोपण किया जायेगा।
- उपकरण क्रय : वन एवं वन्यजीवों की निगरानी एवं बेहतर प्रबन्धन हेतु कैमरा ट्रेप, जी०पी०एस०, ड्रोन आदि क्रय करने प्रस्तावित किये गये है।
 - वन क्षेत्रों में नियमित रूप से सघन पेट्रोलिंग हेतु वन मोटर मार्गो का सुदृडीकरण कार्य प्रस्तावित किया गया है।

Components of Integrated Biodiversity Conservation & Wildlife Management Plan	Unit Physical Financial	2024-25 2025-26 2026-27 Total (Phy) 2024-25 2025-26 2026-27 Total Amount	(in Lakhs)			Ha. 145 - 145 44.90 44.90	Ha 145 - 46,46 - 46,46	Ha 145 145 5.73 5.73	44.90 46.46 5.73 97.09	No. 8 5 5 18 10.40 6.50 6.50 23.40		10.40 6.50 6.50 23.40	Ha. 15 15	Ha. 15 15 35.89 35.89	Ha 15 - 9.24 - 9.24	Ha 15 15 - 2.38 2.38	35.89 9.24 2.38 47.51		No. 10 10 2.50 2.50	No. 40 40 40 120 0.02 0.02 0.02 0.06
of Integrated Biodive	Ph																			
ponents	Unit	2(Ha.	Ha.	Ha.		No.			Ha.	Ha.	Ha.	Ha.			No.	No.
Com	Component			Habitat improvement	(i) Lantana Eradication	I Year	II Year	III Year	Total	(ii) Augmenting water regime	by creating water structure	Total	(jii) Plantation	I Year (ASW)	II Year	III Year	Total	Equipment	(i) Camera Traps	(ii)Battery for camera trap
	Š	No.		-	-										L			7		

2.00	2.50	0.50	1.50	1.00	1.00	09.0	11.66	2.00	2.00		5.00	12.00	57.62
	1	8	1	ı	1	1	0.02	0.5	0.5		0.00	3.00	11.52
•	,	•	1	ı	ı	1	0.02	0.5	0.5		0.00	4.00	17.29
2.00	2.50	0.50	1.50	1.00	1.00	09.0	11.62	1.00	1.00		5.00	5.00	28.81
10	_	2	. 5	20	L.S	8		20			15	29.40	1
	1	1	1	1	L.S	1		5			0	10.00	0.2
1	ı	1	ı	1	S.J.	1		5			0	8.00	0.3
10	-	2	2	20	L.S	8		10			15	11.4	0.5
No.	No.	No.	No.	No.	L.S	No.		No.			Km.	Km.	Km.
(iii) GPS	(iii) Drones	(iv) Binoculars	(vii) (Computers & Printers, UPS)	(viii) Torches for Patrolling	(viii) Other rescue related expenditures	(ix) Fox light/LED Light(1km Range)	Total	Signages	Total	Forest Protection works	(i)Maintenance of Inspection/ patrolling bridle path	(ii) Maintenance of Forest Roads (Wilsan Forest Road)	(iii) Construction of Protection wall
								4		w			

(iv)Field Attendent for	3.00	3.00	3.00	00.6	4.46	4.46	4.46	13.38
patrolling on daily basis for								
wildlife Monitoring (1@	•							
12415x12 Month=148980 per								
year)								
(iv) Expenditure of fuel for	1	1	1		1.50	1.50	1.50	4.50
Patrolling Vehicle		2						
Total					44.77	27.25	20.48	92.50
Total		ä			148.58	89.97	35.61	274.16
Contigency 2%					2.97	1.79	0.71	5,48
GRAND TOTAL				•	151.55	91.76	36.32	279.64

उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन् प्रभाग देहरादून

प्रथमनीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून

देहरादूम वन प्रणाण, देहरादून

वर्ष सरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराख्यक, देहरादुन

	rent				Total	13			20.12		89.9		16.74		89.9		89.9		13.39		26.8	
	n diffe			c.)	-				2(9		16		9		6.		13		26	
	ied out in			(Rs. in la	2026-27	12			1.19		0.39		0.99		0.39		0.39		0.79		1.59	
	to be carr	elow:		Financial (Rs. in lac.)	2025-26	111			9.62		3.20		8.01		3.20		3.20		6.41		12.82	
	nd works	re stated l			2024-25	10			9.31		3.09	ų:	7.74		3.09		3.09		6.19		12.39	
sites)	created a	project a	I outlay		Total	6	ation Pla		06	***************************************	30		75		30		30		09		120	
h details of	ures to be	s of entire	th financia	cal	2026-27	00	Idlife Mitig		30		10		25		10		10		20		40	
argets (wit	g the struct	The detail	es along wi	Physical	2025-26	7	ation & Wi		30		10		25		10	**************************************	10		20		40	
Financial t	t, including	is chapter.	ifferent sit		2024-25	9	y Conserva		30		10		25		10	2	10		20		40	
sical &	e projec	ted in th	one in d	Unit		50	diversit		Ha		Ha		Ha		Ha		Ha		Ha		Ha	
Cumulative Physical & Financial targets (with details of sites)	-year period of th	eld survey are stated in this chapter. The details of entire project are stated below:	Details of works done in different sites along with financial outlay	GPS		4	Integrated Biodiversity Conservation & Wildlife Mitigation Plan		N30°18'.49.207"	E77°55"01.666"	N30°19'0.445"	E77°56'32.484"	N30°18'22.572"	E77°56'49.717	N30°17'50.752"	E77°56'57.473"	N30°28'83.43"	E77°95'07.82"	N30°28'40.66"	E77°96'08.16	N 30°16'23"	E77°58'29"
	ets for the 03	sites, as per the field		Name of	site	3		ment	Arcedia-1		Arcedia-2	-	Arcedia-3		Arcedia-4		Laldhang-	116	Laldhang-	2a	Chandraba	ni-2
	Physical and financial targets for the 03-year period of the project, including the structures to be created and works to be carried out in different	sites		Component		2		Habitat improvement	(i) Lantana	Eradication (Work	will be done in	3years)	L			1			L			
	Phys			vi y	0	1										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						

2 - 4 2.60 - 2 4 2.60 2 - 4 2.60 2 - 4 2.60 5 5 18 10.40	2 - 4 - 4 - 5 - 18	2 - 4 + 4 - 15 - 15	2 4 4 4 5 18 5 18 6 7 15	2 4 4 — 4 — 4 — — — — — — — — — — — — —	2 4 4 4 5 18 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	2 4 2 4 - 4 - 4 - 15 - 15 - 15 - 15	2 4 - 4 - 4 - 4 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	2 4 2 4 - 4 - 4 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	2 4 2 4 - 4 - 18 5 18 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 10 - 10 - 10	2 4 - 4 - 4 - 18 5 18 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 10 - 10 - 10	2 4 2 4 - 4 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
			1 2 1 2 1	1 0 0 1 1	1	2 2 15			2 2 2 2 - 04	2 2 15 15 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19	2 1 2 2 1 1 1 2 1 1
2 2 2 2	- 2 2 2 00	2 2 2 2 15	1 2 2 2 2 8 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1 2 2 2 2 15 115 115 115	1 2 2 2 2 3 8 8 8	1 2 2 2 2 3 8 8 -	1 2 2 2 2 1 15 15 15 1 15 1 15 1 15 1 1	1 2 2 2 2 2 1 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2 2 2 8 8 8 15 	2 2 2 8 8 8 15 10 10 40	1 2 2 2 2 2 15 115 115 110 110 110 110 110 110 110
N30°19'0.445" No. E77°56'32.484" No. E77°56'49.717 No. E77°56'49.717 No. E77°96'08.16 N 30°16'23" No. E77°58'29" No.											
structure Arcedia-3 N34 Arcedia-3 N3 E7 E7 Laldhang- N3 2a E7 Chandraba N ni-2 E Total F				a 1. 2	2 1 2				Arcedia-3 Laldhang- 2a Chandraba ni-2 Arcedia-1	Arcedia-3 Laldhang- 2a Chandraba ni-2 Arcedia-1 Arcedia-1	Arcedia-3 Laldhang- 2a Chandraba ni-2 Arcedia-1 -
Arcedia-3 N30°18'22.572" E77°56'49.717 Laldhang- N30°28'40.66" 2a E77°96'08.16 Chandraba N30°16'23" ni-2 E77°58'29"	a N30°18'22.572" E77°56'49.717 N30°28'40.66" E77°96'08.16 a N 30°16'23" E77°58'29"	a N30°18'22.572" E77°56'49.717 N30°28'40.66" E77°96'08.16 a N 30°16'23" E77°58'29"	a N30°18'22.572" E77°56'49.717 N30°28'40.66" E77°96'08.16 a N 30°16'23" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	a N30°18'22.572" E77°56'49.717 N30°28'40.66" E77°96'08.16 N 30°16'23" E77°58'29" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207"	a N30°18'22.572" E77°56'49.717 N30°28'40.66" E77°96'08.16 N 30°16'23" E77°58'29" E77°58'29" A30°18'.49.207" A30°18'.49.207"	a N30°18'22.572" E77°56'49.717 N30°28'40.66" E77°96'08.16 N 30°16'23" E77°58'29" E77°58'29" A30°18'.49.207" E77°55"01.666"	a N30°18'22.572" E77°56'49.717 N30°28'40.66" E77°96'08.16 N 30°16'23" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	a N30°18'22.572" E77°56'49.717 N30°28'40.66" E77°96'08.16 N 30°16'23" E77°58'29" E77°58'29" 	Arcedia-3 N30°18′22.572″ E77°56′49.717 Laldhang- N30°28′40.66″ 2a E77°96′08.16 Chandraba N30°16′23″ ni-2 E77°58′29″ Arcedia-1 N30°18′.49.207″	Arcedia-3 N30°18'22.572" E77°56'49.717 Laldhang- N30°28'40.66" 2a E77°96'08.16 Chandraba N30°16'23" ni-2 E77°58'29" Arcedia-1 N30°18'.49.207"	Arcedia-3 N30°18'22.572" E77°56'49.717 Laldhang- N30°28'40.66" 2a E77°96'08.16 Chandraba N30°16'23" ni-2 E77°58'29" Arcedia-1 N30°18'.49.207"
Laldhang- N30°28'40.66" 2a E77°96'08.16 Chandraba N30°16'23" ni-2 E77°58'29"	a N30°28'40.66" E77°96'08.16 B77°58'29"	a N30°28'40.66" E77°96'08.16 N 30°16'23" E77°58'29"	a N30°28'40.66" E77°96'08.16 B77°58'29" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	a N30°28'40.66" E77°96'08.16 B77°58'29" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	a N30°28'40.66" E77°96'08.16 B77°58'29" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	a N30°28'40.66" E77°96'08.16 B77°58'29" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" 	a N30°28'40.66" E77°96'08.16 B77°58'29" E77°58'29" E77°58'29" ————————————————————————————————————	a N30°28'40.66" E77°96'08.16 N 30°16'23" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" 	Laldhang- N30°28'40.66" 2a E77°96'08.16 Chandraba N30°16'23" ni-2 E77°58'29" Arcedia-1 N30°18'.49.207"	Laldhang- N30°28'40.66" 2a E77°96'08.16 Chandraba N30°16'23" ni-2 E77°58'29" Arcedia-1 N30°18'.49.207"	Laldhang- N30°28'40.66" 2a E77°96'08.16 Chandraba N30°16'23" ni-2 E77°58'29" Arcedia-1 N30°18'.49.207"
Chandraba N 30°16'23" ni-2 E77°58'29"	a N 30°16'23" E77°58'29"	a N 30°16′23" E77°58′29" I N30°18′.49.207"	a N30°16'23" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	a N30°16'23" E77°58'29" I N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	a N 30°16'23" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	a N 30°16′23" E77°58′29" 1 N30°18′.49.207" E77°55″01.666″	a N30°16'23" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666" -	a N 30°16'23" E77°58'29" 1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666" -	Chandraba N 30°16′23" ni-2 E77°58′29" uit Species Arcedia-1 N30°18′49.207" — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Chandraba N 30°16′23" ni-2 E77°58′29" uit Species Arcedia-1 N30°18′.49.207" — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Chandraba N 30°16′23" ni-2 E77°58′29" uit Species Arcedia-1 N30°18′.49.207" — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
		N30°18'.49.207"	N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	1 N30°18'.49.207" E77°55"01.666"	uit Species No. Arcedia-1 N30°18'.49.207" Ha E77°55"01.666" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — No. No.	uit Species No. Arcedia-1 N30°18'.49.207" Ha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No. No.	uit Species No. Arcedia-1 N30°18'.49.207" Ha E77°55"01.666" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — No. No. No. No.
	v) Plantation of Fruit Species	N30°18'.49.207" Ha	1 N30°18'.49.207" Ha E77°55"01.666"	1 N30°18'.49.207" Ha E77°55"01.666"	1 N30°18',49.207" Ha E77°55"01.666" – –	1 N30°18'.49.207" Ha E77°55"01.666" – – – – – – – – – – – – – – – – – –	1 N30°18'.49.207" Ha E77°55"01.666" — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 N30°18'.49.207" Ha E77°55"01.666"	vuit Species Ha Arcedia-1 N30°18'.49.207" Ha E77°55"01.666" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — No. No.	vuit Species Ha Arcedia-1 N30°18'.49.207" Ha E77°55"01.666" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — No. No.	vuit Species N30°18′.49.207" Ha Arcedia-1 N30°18′.49.207" Ha - - -

No. 2 2 0.50 0.50 No. 2 2 1.50 1.50 No. 2 2 1.50 1.50 No. 20 2 1.00 1.00 No. 3 3 0.60 1.00 No. 10 5 5 2 0 1.00 0.50 0.50 2.00 Km. 15 0 0 0 15 5.00 0.00 0.00 5.00 Km. 0.50 0.50 28.81 - 2 28.81 Km. 0.50 - 0.30 - 17.29 - 17.29													
20 20 1.00 2 1.50 2	(iv) Binoculars				No.	7		1	2	0.50		1	0.50
20	(vii) (Computers &				No.	7		1	2	1.50	•	ı	1.50
L.S. L.S. L.S. 1.00	Printers, UPS)												
L.S L.S L.S 1.00 3 0.60 3 0.60 3 0.60 3 0.60 14.62 0.02 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5	(viii) Torches for				No.	20	ı	,	20	1.00	1	1	1.00
10 5 5 20 1.00 3 0.60 3 1.00	Patrolling												
3 3 0.60	(viii) Other rescue				L.S	L.S	L.S	L.S	L.S	1.00	-1	1	1.00
3 0.60 3 0.60 100 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	related expenditures												
10 5 5 20 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.5	(ix) Fox light/LED				No.	3	ı	ı	3	09.0	ī	r	09.0
10 5 5 20 11.62 0.02 0.00 10 5 5 20 1.00 0.50 0.50 15 0 0 1.00 0.50 0.00 0.00 11.4 8.00 10.00 29.40 5.00 4.00 3.00 0.50 - - - - - - 0.50 - 0.50 28.81 - - 0.30 - 0.30 - 17.29 -	Light(1km Range)												
10 5 5 20 1.00 0.50 0.50 10 10 10 1.00 0.50 0.05 0.05 0.00 11 11 8.00 10.00 29.40 5.00 4.00 3.00 0.50 - 0.50 28.81 - - - 0.30 - 0.30 - 17.29 -	Total									11.62	0.02	0.02	11.66
15 0 0 15 5.00 0.00 0.00 15 0 0 15 5.00 0.00 0.00 11.4 8.00 10.00 29.40 5.00 4.00 3.00 0.50 - - 0.50 28.81 - - - 0.30 - 0.30 - 17.29 -	Signages	1	1		No.	10	5	5	20	1.00	0.50	0.50	2.00
15 0 0 15 5.00 0.00 0.00 11.4 8.00 10.00 29.40 5.00 4.00 3.00 0.50	Total									1.00	5.0	6.5	2.00
15 0 0 15 5.00 0.00 0.00 11.4 8.00 10.00 29.40 5.00 4.00 3.00 0.50 - - 0.50 28.81 - - 0.30 - 0.30 - 17.29 -	Forest Protection												
15 0 0 15 5.00 0.00 0.00 11.4 8.00 10.00 29.40 5.00 4.00 3.00 0.50 - - 0.50 28.81 - - 0.30 - 0.30 - 17.29 -	works												
11.4 8.00 10.00 29.40 5.00 4.00 3.00 0.50 0.50 28.81	(i)Maintenance of				Km.	15	0	0	15	5.00	0.00	0.00	2.00
11.4 8.00 10.00 29.40 5.00 4.00 3.00 0.50 - - 0.50 28.81 - - 0.30 - 0.30 - 17.29 -	Inspection/ patrolling												
11.4 8.00 10.00 29.40 5.00 4.00 3.00 0.50 - - 0.50 28.81 - - 0.30 - 0.30 - 17.29 -	bridle path												
0.50	(ii) Maintenance of Wilsan N30°14'16.30"		N30°14'16.3(Km.	11.4	8.00	10.00	29.40	5.00	4.00	3.00	12.00
0.50 0.50 _ 28.81	Forest Roads Forest E77°57'50.10"		E77°57'50.10	=									
0.50 0.50 _ 28.81	Road N30°17'17.10"		N30°17'17.10	=		=							
0.50 0.50 _ 28.81	E77°54'46.20"	E77°54'46.20	E77°54'46.20	=				4			34		
0.30 _ 0.30 _ 17.29	(iii) Construction of Arcedia-3 N30°18'22.572"	+-	N30°18'22.57	7=	Km.	0.50	1	ı	0.50	28.81	1	1	28.81
0.30 _ 0.30 _ 17.29	Protection wall E77°56'49.717	E77°56'49.	E77°56'49.	717									
	Arcedia-1 N30°18',49.207"	-	N30°18'.49.2			I	0:30	1	0.30	-	17.29	1	17.29

		E77°55"01.666"							1	N.	
	Arcedia-2	N30°19'0.445"		1	1	0.20	0.20	ſ	-1	11.52	11.52
		E77°56'32.484"									
(iv)Field Attendent			3.	3.00	3.00	3.00	00.6	4.46	4.46	4.46	13.38
for patrolling on daily											
basis for wildlife											
Monitoring (1@											
12415x12											
Month=148980 per		7			1						
year)											
(iv) Expenditure of								1.50	1.50	1.50	4.50
fuel for Patrolling											
Vehicle											
Total								44.77	27.25	20.48	92.50
Total								148.58	89.97	35.61	274.16
Contigency 2%								2.97	1.79	0.71	5.48
GRAND TOTAL								151.55	91.76	36.32	279.64

3

उप प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादूम वन प्रमाग, देहरादून वन क्षेत्रमधिकारी

प्रयामीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रथाग देहरादून

प्रमुख वन संरक्षक (बन्य जीव) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड

देहरादून वन प्रभाग देहरादून

वन सरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराख्यक, देहरादुन

15

मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण योजना (Soil & Moisture Conservation Plan)

पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए मृदा की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। पानी की मात्रा बढाने और साथ ही मृदा के कटाव को रोकने के लिए वाटर होल, कन्टूर ट्रेच व इनमें नेपियर घास का रोपण, चैक डैम आदि कार्य प्रस्तावित किये गये 青1

चाल खाल, कंटूर ट्रेच, परकुलेशन टैंक का निर्माण— ग्रीष्म ऋतु में क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए पानी उपलब्ध रहें तथा क्षेत्र में नमी बनी रहे, साथ ही रन ऑफ को कम करके Percolation व Infiltration बढाये जाने के लिए उपयुक्त स्थलों पर चाल खाल, कंटूर ट्रेंच का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है।









		<u> </u>		_	Γ										Γ	
		Total	Amount	(in Lakhs)	20.16	2.20	14.23			15.00		24.00		75.590	1.5118	77.102
	Financial	2026-27			4.48	0.40	2.59			ı		5.00		12.470	0.2494	12.719
	Fin	2025-26			4.48	08.0	5.17			5.00		5.00		20.450	0.409	20.859
lan		2024-25			11.20	1.00	4.47			10.00		14.00		42.670	0.8534	43.523
Components of Soil & Moisture Conservation Plan		Total (Phy)			18	2500	2500			15		240		1	ı	
Moisture C	Physical	2026-27			4	1000	1000			ı		50		ı	1	1
ts of Soil &	Phy	2025-26			4	2000	2000			5		50		1	ı.	•
Componen		2024-25			10	2500	2500			10		140		1	1,	•
	Unit				NO	R.M	R.M			No.		R.M		1	r.	1
	Component	0			Water Hole	Contour trenches	(i) Plantion of Napier	Grass on the Contour	trenches	Geo Synthetic/Metal	Crate Wire Check Dams	Crate Wire side wall to	prevent soil erosion	Total	Contigency 2%	GRAND TOTAL
	S	No.			-	7	т			4		w				

उप प्रभागीय वनाधिकारो देहरादून वन प्रभाग देहरादून

प्रभा<u>गीय वन</u>ाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून

वन् संस्थाक शिवालिक युर्ग उत्तराख्येष्ट, देहरादुन

वन संजाधिकारी आसारोड़ी रेंज देहरादून वन क्रमाग, देहरादून

17

GPS Unit Physical Financial GPS Unit Physical Financial 254 2024- 2025-36 2026- 1026- 1024- 2025- 2026- 1024- 2025- 2026- 1048 N30°18'49.207" No. 2 2 4 2.24 - 2.24 4.48 E77°56'32.484" No. 2 2 2 4 2.24 - 4.48 E77°56'32.484" No. 2 2 4 2.24 - 4.48 E77°56'49.717 No. 2 2 4 2.24 - 4.48 E77°56'31.549" No. 2 2 2 4 2.24 - 4.48 E77°56'08.16				Soil	& Mois	sture Co	Soil & Moisture Conservation Plan	Plan	io loio n	#los:			
No. 2 2 4 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 No. 2 2 2 4 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24	Details of Component Name of site	Name of site	etails o	GPS dor	Unit	fferent s	Physi	with fina	incial or	itlay	F	inancial	
No. 2 2 4 2.24 2 24 2.24 2.24 No. 2 - 2 4 2.24 - - 2.24 No. 2 2 - 4 2.24 - </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>2024-</th> <th>2025-26</th> <th>2026-</th> <th>Total</th> <th>2024-</th> <th>2025-</th> <th>2026-</th> <th>Total</th>						2024-	2025-26	2026-	Total	2024-	2025-	2026-	Total
No. 2 4 2.24 - 2.24 No. 2 - 2 2.24 - - 2.24 No. 2 2 - 4 2.24 - - - No. 2 2 - 4 2.24 - - - No. 10 4 4 18 11.20 4.48 4.48 Rmt 1000 500 - 1000 0.20 - - Rmt 1000 500 - 1500 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 2500 2000 1000 5500 1.00 0.40 0.40						25		27	(Phy)	25	56	27	Amount (in
No. 2 4 2.24 — 2.24 — 2.24 No. 2 2 2 2.24 — — No. 2 2 2 2.24 — — No. 2 2 4 2.24 — — No. 10 4 4 11.20 4.48 4.48 Rmt 1000 500 — 1500 0.40 0.20 — Rmt 1000 500 — 1500 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 2500 2000 1000 5500 1.00 0.80 0.40													Lakhs)
No. 2 2 2.24 No. 2 2.24	Percolation Arcedia-1 N30°18'		N30°18	N30°18'.49.207"	No.	2	1	7	4	2.24	I	2.24	4.48
No. 2 2 2.24 — — No. 2 2 4 2.24 — — No. 2 2 4 2.24 — — No. 2 2 4 2.24 — 2.24 No. 10 4 4 11.20 4.48 4.48 Rmt 500 500 — 1000 0.20 — — Rmt 1000 500 — 1500 0.40 0.20 — Rmt 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 2500 2000 1000 5500 1.00 0.80 0.40	Tenk/Dug out E77°55"01.666"	E77°55"	E77°55"(01.666"									
No. 2 2 4 2.24 2.24 - No. 2 2 4 2.24 - 2.24 No. 2 2 4 2.24 - 2.24 No. 10 4 4 138 11.20 4.48 4.48 Rmt 500 500 - 1000 0.20 0.20 - - Rmt 1000 500 - 1500 0.40 0.20 - - Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 Rmt 2500 2000 1000 5500 1.00 0.80 0.40	pond Arcedia-2 N30°19'0.445"		N30°19′	.445"	No.	2	1	1	2	2.24	1	1	2.24
No. 2 2 4 2.24 2.24 - No. 2 2 4 2.24 - 2.24 No. 2 2 4 2.24 - 2.24 No. 10 4 4 4 4.48 4.48 Rmt 500 500 - 1000 0.20 0.20 - Rmt 1000 500 - 1500 0.40 0.20 - Rmt 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 2000 1000 5500 - -	E77°56'32,484"	E77°56'3.	E77°56'3.	2.484"									
No. 2 4 2.24 — 2.24 No. 2 2 4 2.24 — 2.24 No. 10 4 4 1130 4.48 4.48 Rmt 500 500 — 1000 0.20 — Rmt 1000 500 — 1500 0.40 0.20 — Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 1000 5500 1.00 0.80 0.40	Arcedia-3 N30°18'22.572"		N30°18'2	2.572"	No.	2	2	1	4	2.24	2.24	1	4.48
No. 2 4 2.24 — 2.24 No. 2 2 4 2.24 — 2.24 No. 10 4 4 1130 4.48 4.48 Rmt 500 500 — 1000 0.20 0.20 — Rmt 1000 500 — 1500 0.40 0.20 — Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 2000 1000 5500 — 1000 0.40 0.40	E77°56'49.717	E77°56'49	E77°56'49	717									
No. 2 2 4 2.24 2.24 - No. 10 4 4 4 1130 4.48 4.48 Rmt 500 500 - 1000 0.20 0.20 - Rmt 1000 500 - 1500 0.40 0.20 - Rmt 1000 1000 1000 0.40 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 2000 1000 5500 1.00 0.40 0.40	Laldhang-2a N30°28'40.66"		N30°28'40	99	No.	2	1	2	4	2.24	1	2.24	4.48
No. 2 2 4 2.24 2.24 2.24 - Rmt 500 500 4 4 11.20 4.48 4.48 Rmt 500 500 - 1000 0.20 0.20 - Rmt 1000 500 - 1500 0.40 0.20 - Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 1000 1000 5500 1.00 0.40 0.40	E77°96'08.16	E77°96'08	E77°96'08	3.16									
No. 10 4 4 118 11.20 4.48 4.48 Rmt 500 500 - 1000 0.20 0.20 - Rmt 1000 500 - 1500 0.40 0.20 - Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 1000 1000 5500 1.00 0.40 0.40	Chandrabani-2 N 30°16′23"		N 30°16'2	3"	No.	2	2	ı	4	2.24	2.24	ı	4.48
Rmt 500 500 - 1000 0.20 4.48 4.48 4.48 Rmt 500 500 - 1000 0.20 - - Rmt 1000 500 - 1500 0.40 0.20 - Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 1000 1000 5500 1.00 0.40 0.40	E77°58'29"	E77°58'2	E77°58'29	6									
Rmt 500 500 — 1000 0.20 0.20 — Rmt 1000 500 — 1500 0.40 0.20 — Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 2500 2000 1000 5500 1.00 0.80 0.40	Total				No.	10	4	4	18	11.20	4.48	4.48	20.16
Rmt 1000 500 — 1500 0.40 0.20 — Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 2500 2000 1000 5500 1.00 0.80 0.40	Contour Arcedia-2 N30°18'59.955"		N30°18'59.	955"	Rmt	200	200	1	1000	0.20	0.20	1	0.40
Rmt 1000 500 _ 1500 0.40 0.20 _ Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 2500 2000 1000 5500 1.00 0.80 0.40	trenches E77°56'31.549"	E77°56'31.	E77°56'31.	549"					at 1:50 4500				
Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 0.40	Laldhang-2a N30°28'40.66"		N30°28'4(99"	Rmt	1000	200	ı	1500	0.40	0.20	ı	09.0
Rmt 1000 1000 1000 3000 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	E77°96'08.16	E77°96'08	E77°96'08	3.16									
2500 2000 1000 5500 1.00 0.80 0.40	Chandrabani-2 N30°16'23"		N30°16'	23"	Rmt	1000	1000	1000	3000	0.40	0.40	0.40	1.20
2000 1000 5500 1.00 0.80 0.40	E77°58'29"	E77°58'	E77°58'	29"									
	Total					2500	2000	1000	2500	1.00	0.80	0.40	2.20

3	(i) Plantion of	Arcedia-2	N30°18'59.955"	Rmt	500	500		1000	1.29	1.29		2.58
	, ; ;			1								
	Napier Grass		E77°56'31.549"						i			
	on the	Laldhang-2a	N30°28'40.66"	Rmt	1000	200	1	1500	2.59	1.29	1	3.88
	Contour		E77°96'08.16									
	trenches	Chandrabani-2	N30°16'23"	Rmt	1000	1000	1000	3000	3.88	2.59	2.59	77.7
			E77°58'29"			1				V .		
	Total				2500	2000	1000	2500	4.77	5.17	2.59	14.23
4	Geo	Khuni Khala	N30°14'56"	No.	10	5	١	15	10.00	5	1	15.00
	Synthetic/		E77°58'10"									
	Metal Crate											
	Wire Check	2										
	Dams											
	Total				10	5	1	15	10.00	S	1	15.00
w	Crate Wire	Teli rau	N-30°15'18.56"	Rmt	ı	90	50	100	1	5.00	5.00	10.00
	side wall to		E-77°57'06.84"									
	prevent soil	Dhuaba Rau	N30°14'47"	Rmt	140	1	1	140	14.00	ı	1	14.00
	erosion		E77°57'20"									
9	Total				140	20	20	240	14.00	2.00	2.00	24.00
	Total				1	1	1	1	42.670	20.450	12.470	75.590
	Contigency			1	1	1	1		0.8534	0.406	0.2494	1.5118
	2%				19							
	GRAND			ı	1	1	ı	1	43.523	20.859	12.719	77.102
	TOTAL											
	31 ST	अक्रमाध्र		(\			7			

उक्पप्रभागीय वनाधिकारो देहरादून वन प्रभाग देहरादून

वम् संत्राधिकारी आसारीड़ी रेंज देहरादूच वन प्रमाण, देहरादून

19

प्रभागीय ननाधिकारी देहरादुन वन प्रभाग देहरादुन

वन स्थाक शिवालिक युर्। उत्तराख्यात्र, देहराः